

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 2324009
पत्र संख्या-फार्म अनुभाग-आ०घो०प०सं०-2023-24/

566 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
(फार्म अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2023

-विज्ञप्ति-

उत्तर प्रदेश प्रवेशकर अधिनियम सपठित उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 56 के उप नियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत में एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फार्म-डी का विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ, जिसके खो जाने/चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उप नियम (9) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क० सं०	नाम व पता	Missing फार्म की संख्या	फार्म-सी/डी/आयात घोषणा पत्रों/ओ०सी०स्टैम्प की सीरीज एवं खोने के क्रमोंक	सीरीज
1	सर्वश्री तिरूपति सिलेण्डर्स प्रा०लि०, 9 किमी०, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।	फार्म-डी 03 अदद	फार्म-डी सीरीज संख्या क्रमशः-03, 04 एवं 05	EPPW0618349 EPPW0618350 EPPW0618351

24/7/23

(राजेश कुमार पाण्डेय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पू०प०सं० व दिनांक उक्त -

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (2) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (3) डिप्टी कमिश्नर (उ०न्या०कार्य), इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) डिप्टी कमिश्नर (आई०टी०), वाणिज्यकर, मुख्यालय लखनऊ।
- (5) समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी/मण्डल /उपमण्डल खण्ड/सचलदल वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए/ नष्ट हुए फार्म के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या (विधि-2 सत्यापन) (85-86)-201/ बिक्री कर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं० फार्म-31 (91-92)-फार्म मुद्रण-865/ बिक्री कर दिनांक 02-11-91 के अनुसार कार्यवाही / अनुपालन / किया जाना सुनिश्चित करें।
- (6) मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।
- (7) विधि/ मैनुअल/ नई इकाई को पाँच-पाँच प्रतियाँ।
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- (9) श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर०-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (10) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, RD-51 राजनगर, गाजियाबाद।
- (11) महालेखाकार (कामर्शियल एवं रिसीट ऑडिट) यू०पी०, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- (12) समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

ज्वाइंट कमिश्नर(वाद)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।